

आदेश-पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्तक, 1929 का नियम 929)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् 99.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 9	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित 3										
10-12-2014	<p style="text-align: center;">आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमण्डल, सहरसा</p> <p style="text-align: center;">भूमि विवाद अपील संख्या-401/2012</p> <p>1 लखीचन्द्र साह पिता प्रसादी साह 2. परमेश्वर साह पिता लखीचन्द्र साह सकिन-गौरवगढ़, थाना-सुपौल, जिला-सुपौल अपीलार्थीगण दनाम छोटेलाल शर्मा पिता स्व0 रौदीलाल खतवे सकिन- गौरवगढ़, थाना-सुपौल जिला-सुपौलविपक्षी</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>यह अपील अपीलकर्ता द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, सुपौल के भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या-142/11-12 में पारित आदेश दिनांक 30.08.2012 के विरुद्ध दाखिल किया गया है।</p> <p>2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैं।</p> <table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>मौजा</td> <td>वार्ड</td> <td>खेसरा</td> <td>रकवा</td> <td></td> </tr> <tr> <td>गौरवगढ़</td> <td>न0-05</td> <td>3710-क,ख,ग,घ, 3711 क एवं 3709</td> <td>170</td> <td>अर यानी 19 धूर 05 धूरकी</td> </tr> </table> <p>3. अपीलकर्ता का उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से कथन है कि उनके द्वारा निम्न न्यायालय में दखल दिहानी वाद संख्या-142/11-12 में पारित आदेश दिनांक 30.08.2012 के विरुद्ध दाखिल किया गया है, जिसमें उनके विरुद्ध आदेश पारित कर दिया गया। अपीलकर्ता ने मौजा-गौरवगढ़ वार्ड न0-35 टाउन सर्वे खतियान का खेसरा 3710 क ख ग घ रकवा 1.20 अर एवं 3711 का रकवा 2.0 अर तथा 3709 रकवा 0.30 अर कुल रकवा 170 अर यानी 0-0-17-05 धूरकी जिसका पुराना खेसरा 1002, 1004, 1005 एवं अन्य खेसरा निबंधित केवाला संख्या-825 वर्ष 1971 से खरीदगी की गयी। यह खरीदगी लक्ष्मण चौधरी पिता स्व0 बाबू बबुजन चौधरी मौजा-चकला निर्मली से की गयी, तब से वे दखलकार शांतिपूर्वक</p>	मौजा	वार्ड	खेसरा	रकवा		गौरवगढ़	न0-05	3710-क,ख,ग,घ, 3711 क एवं 3709	170	अर यानी 19 धूर 05 धूरकी	
मौजा	वार्ड	खेसरा	रकवा									
गौरवगढ़	न0-05	3710-क,ख,ग,घ, 3711 क एवं 3709	170	अर यानी 19 धूर 05 धूरकी								

दंग से है। जमाबंदी संख्या-5001 कायम हुआ। जोतआवाद भी कायम है तथा लगान रसीद निर्गत हो रहा है। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी इस भूमि पर कभी भी दखलाकार नहीं था। हाल टउन सर्वे भी अपीलकर्ता के नाम से बना, जिसके अभ्युक्ति कालम में अवैध दखल दर्ज हो गया। विवादित भूमि पूर्णतः कृषि भूमि है, जिसका किसी भी प्रकार का कागजात विपक्षी के नाम से नहीं है। यह भूमि वार्ड संख्या-05 में है, जबकि विपक्षी का घर वार्ड संख्या-04 में है, जो निर्वाचक सूची से स्पष्ट है तथा बी0पी0एल0 कार्ड में भी नगर परिषद वार्ड संख्या-04 अंकित है। यह कहना पूर्णतः गलत है कि विपक्षी का घर वार्ड संख्या-05 में है। विपक्षी का यह कहना भी पूर्णतः गलत है कि खतियान उनके पिता रौदी खतवे के नाम से बना है, जबकि खतियान अपीलकर्ता लखीचन्द्र साह के नाम से बना है। विपक्षी का यह कहना भी पूर्णतः गलत है कि उनके पिता रौदी खतवे पे0. मुन्नी लाल खतवे लगभग 60-70 साल से घर बनाकर रह रहे हैं। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि विपक्षी द्वारा स्वयं इस बात को स्वीकार किया गया है कि वे भूमिहीन हैं और नहर पर घर बनाकर रह रहे हैं। निम्न न्यायालय के आदेश पत्र के पेज संख्या-3 में स्थल निरीक्षण के दौरान यह बात स्वीकार किया गया है कि उक्त जमीन पर बाँस का बीट बना हुआ है। विपक्षी द्वारा किमीनल केस करने की बात कहा गया है, जो अपीलकर्ता के पहले किया गया है, जबकि विपक्षी के द्वारा अपीलकर्ता से घटना के बाद अपीलकर्ता द्वारा वाद संख्या-434सी/10 दायर किया गया, उसके बाद विपक्षी द्वारा दायर केस संख्या-477सी/10 है। निम्न न्यायालय का यह कहना सही नहीं है कि कवाला संख्या-825/71 में, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा जो जमीन खरीदा गया, वह विक्रेता को किस प्रकार मिला था, जबकि केवाला देखने से ही पता चला जाता है कि यह विक्रेता का खतियानी जमीन था। निम्न न्यायालय का आदेश सही नहीं है, उसे निरस्त किया जाय एवं अपीलकर्ता के अपील को स्वीकृत किया जाय।

4. विपक्षी का उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 30.08.2012 को आदेश पारित किया गया एवं अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 19.10.2012 को अपील दाखिल किया गया, जो कालबधित है। यह सर्व विदित सिद्धान्त है कि विपक्षी के सुनवाई के पश्चात् विलम्ब शांत किया जाता है। इसलिए अपीलकर्ता का यह अपील खारिज योग्य है। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आवेदन दिया गया, जिसके अग्रसारण होने पर भूमि सुधार उप समाहर्ता, सुपौल द्वारा वाद संख्या-142/11-12 निष्पादित किया गया कि विवादित भूमि खेसरा 3710 क ख ग घ एवं अन्य पर विपक्षी का घर इत्यादि बना था, जिसे अपीलकर्ता द्वारा तोड़ दिया गया। स्थल निरीक्षण में पाये गये घर के मिट्टी इत्यादि से स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर पीलर इत्यादि बना था। विद्वान अधिवक्ता द्वारा ध्यान आकृष्ट कराया गय कि जिस केवाला दस्तावेज के आधार पर अपीलकर्ता विवादित भूमि उनके होने का कहते हैं, जिसमें लिखा है कि यह खतियानी भूमि है, परन्तु अपीलकर्ता के द्वारा लखन चौधरी का खतियानी भूमि होने का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। सर्वे खतियान के अभ्युक्ति कालम में विपक्षी

(Handwritten signature)

के पिता रौंदी खतवे का नाम दर्ज है। अगर यह गलत है तो इसका निराकरण के लिये सक्षम न्यायालय, सिविल न्यायालय है। अपीलकर्ता द्वारा इसके विरुद्ध सिविल न्यायालय में कोई वाद दाखिल नहीं किया गया है। अतः अपीलकर्ता द्वारा धारित केवाला दस्तावेज फर्जी एवं आधारहीन है। निम्न न्यायालय का आदेश विधि सम्मत् है तथा अपीलकर्ता का अपील खारिज योग्य है, उसे खारिज किया जाय।

5. निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख, आदेश, वाद अभिलेख पर उपलब्ध कागजात, अपीलकर्ता के अपील आवेदन, दाखिल लिखित बहस सबूत दिनांक 10.12.2014, विपक्षी द्वारा दाखिल लिखित बहस दिनांक 12.09.2014, कागजी सबूत दिनांक 22.11.2014 का अवलोकन किया। उभय पक्षों द्वारा बहस के दौरान रखे गये तथ्यों पर भी गौर किया। अपीलकर्ता एवं विपक्षी द्वारा अपने अपने निबंधित दस्तावेज के आधार पर दावा/प्रतिदावा किया गया है। विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता, निर्मली के पारित आदेश दिनांक 30.08.2012 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि उनके द्वारा पक्षों की विधिवत् सुनवाई की गयी एवं स्थल निरीक्षण के उपरान्त ही पाया गया कि विपक्षी (निम्न न्यायालय में अपीलकर्ता) चाय की दुकान चलाते हैं तथा अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। अपीलकर्ता (निम्न न्यायालय में विपक्षी) द्वारा जोर-जबरदस्ती से घर तोड़कर बेदखल कर दिया गया। विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा अंचल अमीन द्वारा नापी सीमांकन कराकर दखल दिलाने की कार्यवाई की जाय। तउन सर्वे खतियान में गलत प्रतिष्ठी एवं केवाला को अवैध घोषित करने हेतु अपीलकर्ता व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं, जिससे मैं सहमत हूँ। मैं उसमें कही भी त्रुटि नहीं पाता हूँ।

6. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में भूमि सुधार उप समाहर्ता, सुपौल के वाद संख्या-142/11-12 में पारित आदेश दिनांक 30.08.2012 में आंशिक संशोधन, जिसमें खेसरा नं० 3709 अनावाद बिहार सरकार दर्ज है की समीक्षा हेतु अभिलेख वापस (remand) किया जाता है तथा कायम जमाबंदी के अनुसार इसका सीमांकन कराकर भूमि पक्षकारों को उनके वैद्य कागजात के अनुरूप दिलवाने का आदेश दिया जाता है। निम्न न्यायालय के अभिलेख वापस करते हुए वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


आयुक्त,

कोशी प्रमंडल, सहरसा


10.12.14
आयुक्त,

कोशी प्रमंडल, सहरसा